

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक-4306/264/आउशि/बजट/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/12/2017

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य अन्तर्गत बजट आबंटन- वित्तीय वर्ष 2017-18

उपरोक्त विषय में "योजना क्रमांक 8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य" योजना अन्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S.No.	College	Location	District	Letter No.& Date	Allotment Amount	Segment Code No.
1	Govt. Ramanand Sanskrit College	Bhopal	Bhopal	589/21.11.17	37000	0101
2	Govt. Krishnajirao Pawar P G College	Dewas	Dewas	1198/13.9.17	200000 52000	0101 0102
3	Govt. Sanskrit College	Gwalior	Gwalior	536/18.8.17	25000	0101
4	Govt. Thakur Niranjana Singh College	Gotegaon	Narsinghpur	251/7.10.17	200000 20000	0101 0103
5	Govt. Bhagatsingh P G College	Jaora	Ratlam	1637/23.11.17	12640	0103
6	Govt. College	Polay Kala	Shajapur	418/15.12.17	200000	0101
	Total				746640	

(2) उपरोक्त राशि का आबंटन मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के अनुसार अनुपातिक रूप से किया गया है।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2017-18 में महाविद्यालय के नाम के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड में निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

सेगमेंट कोड	बजट शीर्ष
0101- उच्च शिक्षा (सामान्य)	44-2202-03-001-0101-8808-63-001
0103-आदिवासी उपयोजना	44-2202-03-103-0102-8808-63-000
0103-अनु.जाति उपयोजना	44-2202-03-103-0103-8808-51-000

(4) राशि के उपयोग हेतु ब्राड बैंड कनेक्शन, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर इत्यादि के लिए प्राथमिकता दी जावे।

(5) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(6) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(7) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(9) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-29/12/2017

पृ0क0-4307/264/बजट/2017

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.सेल कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
6. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश